



**उत्तर प्रदेश शासन,
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग
संख्या-130/आई/1332938/2026/89-1099/265/2023
लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2026**

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-71(4)/47/ पी0/एस0-1(09)/2025-26 दिनांक 04.12.2025 द्वारा राज्य प्रशिक्षण सेवा संवर्ग श्रेणी-2 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य श्रेणी-2/ उप प्रधानाचार्य/ सहायक निदेशक के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्यदेशक (फोरमैन) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से राज्य प्रशिक्षण सेवा संवर्ग श्रेणी-2 के अन्तर्गत प्रधानाचार्य श्रेणी-2/ उप प्रधानाचार्य/ सहायक निदेशक वेतनमान रूपया 15600-39100/- ग्रेड पे 5400/- पुनरीक्षित वेतनमान पे- मैट्रिक्स रूपया 56100-177500/- लेबल-10 के पद पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पदोन्नति प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

चयन वर्ष: 2025-26

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	कार्मिक का नाम (श्रीमती/सर्वश्री)	अभियुक्ति
1	831	नगीना सिंह	-
2	832	प्रेमचंद यादव	-
3	833	विरेन्द्र चन्द्रा	-

- उक्त पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
- प्रश्नगत चयन/पदोन्नति से संबंधित यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन होगा तो उक्त पदोन्नति संबंधित याचिका/विचाराधीन प्रकरण में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश राज्य (श्रम विभाग) सेवानियमावली, 1981 यथासंशोधित 2007 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।
- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उल्लिखित वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते जो भी हो, देय होंगे।
- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उक्त पदोन्नत अधिकारियों की ज्येष्ठता, संगत सेवा नियमावली एवं सुसंगत शासनादेशों के अनुसार बाद में निर्धारित की जायेगी।
- उक्त पदोन्नत अधिकारी अपना कार्यभार प्रमाणक संबंधित मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षु/शिशिक्षु) को प्रस्तुत करेंगे।
- उक्त पदोन्नत अधिकारी पदोन्नत पद पर तैनात होने तक अथवा अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन पूर्व की भाँति करते रहेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. सम्बंधित अधिकारियों के वर्तमान तैनाती के जनपद के जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी।
4. संबंधित मण्डल के संयुक्त निदेशक (प्रशि०/शिक्ष०)।
5. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6. उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
7. प्रोन्नत प्राप्त अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रोन्नत पद का कार्यभार ग्रहण कर उसकी सूचना प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ/शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।